## प्ररूप 21 ग

## (नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लंड गया है) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा। (39) श्रीमाधोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य के विधानसभा का निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता / करती हूँ कि — श्री दीपेन्द्र सिंह ग्राम पोस्ट मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा प्रयोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान: सीकर

तारीख: 11.12.2018

Gm-

रिटर्निंग आफिसर

(39) श्रीमाधोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(ब्रह्म लाल जाट) रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र,39—श्रीमाधोपुर (उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट), श्रीमाधोपुर (सीकर)

## FORM 21C

## (See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from (39) Srimadhopur Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Deependra Singh , Village Post Mau Tehsil Shrimadhopur District Sikar Rajasthan , Indian National Congress been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: SIKAR

Date: 11-12-2018

6 m

Returning Officer
(39) Srimadhopur Assembly Constituency
(BRAHM LAL JAT)

RETURNING OFFICER

ASSEMBLY CONSTITUENCY,39-SRIMADHOPUR (SUB DIVISIONAL OFFICER & SUB DIVISIONAL MAGISTRATE), SRIMADHOPUR (SIKAR)